फर्द अहकाम

कैलाशी बनाम रेवड़ वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 118/2023

आदेश संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	08/12/23	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य बहिष्कार के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/3/24 को पेश हो।	
	15/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 अनुपस्थित। इनको बार-बार आवाज लगाई गई। तामील इश्तहार किया जाकर भी उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 28/3/24 को पेश होवे। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	28/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली में उपलब्ध डा. [illegible] वाद, जवाब दावा, प्रा. आपत्ति का अवलोकन करने व बहस को मनन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम रेवड़ वगैरह

...म न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

...स संख्या 48/2023

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि...
		पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(Y3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

शेष विवरण

ल नं0
/2023

दायर दिनांक
06 / 04 / 2023

फैसला दिनांक
28 / 03 / 2024

कैलाश पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा, निवासी अयोध्या नगर, पोल्ट्री फार्म के पास, कोठी वाली ढाणी, आगरा रोड जामडोली जयपुर जिला जयपुर। वादी

बनाम

रेवड पुत्र मांगीलाल
छोटीलाल पुत्र मांगीलाल
श्रामदेव पुत्र मांगीलाल
बाबू पुत्र लक्ष्मण
फैलीराम पुत्र लक्ष्मण
नाथू पुत्र भैरू
प्रकाश पुत्र कानाराम
जातियान मीना निवासी ग्राम पापड तहसील जहमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
परियोजना निदेशक भाराराप्रा पकाई, 87 गंगा विहार कॉलोनी होटल रावत पैलेस के पीछे दौसा 3033303 (राज0)
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

10. रवीन्द्र पुत्र रामचन्द्र
11. राहुल पुत्र रामचन्द्र
12. सुरेश पुत्र रामचन्द्र
समस्त जातियान मीणा निवासी अधोध्या नगर, पोल्ट्री फार्म के पास कोठी वाली की ढाणी, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर जिला जयपुर , राजस्थान।

प्रोफार्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितअभिभाषक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील वादीगण।
श्री दामोदर शर्मा :– प्रतिवादी सं0 8

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रोफार्म प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 की हक काश्त की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 9.4600 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पापड, पटवार मण्डल पापड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर वादी एवं प्रोफार्मा प्रतिवादी साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 वादी के पडोसी खातेदार है, जिनकी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 357 वाके ग्राम पापड पटवार मण्डल पापड में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 झगडालु प्रवृतिद के लोग है तथा इन्होने एक भू0माफिया गिरोह बना रखा है, तथा प्रतिवादी संख्या 8 सडक निर्माण करवाने वाली संस्था है, जिसके द्वारा दिल्ली मुम्बई बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे से जयपुर आगरा रोड को जोडने वाली एक्सप्रेस हाईवे रोड निर्माण करवाया जा रहा है। दिनांक 03.04.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 संगठित होकर अपने साथ अन्य 8–10 व्यक्तियों को लेकर भूमि वादग्रस्त पर आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के साथ आने व्यक्ति अपने आपको रोड निर्माण करने वाले अधिकृत ठेकेदार बता रहे थे।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उक्त व्यक्ति वादी की उपरोक्त मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि पर आये तथा वादी की भूमि में जबरन जेसीबी मशीन, टेक्टर, ट्रेलर इत्यादी साधनों से मिट्टी को दोहन करते हुए मिट्टी को उठाना शुरू कर दिया, जब वादी ने प्रतिवादीगणों को जबरन मिट्टी उठाने से रोका तो वे नही माने तथा वादी को धमकी दी कि हमारे पास मिट्टी से खरीदी है, जिसको हम हमारे यह मिट्टी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 सडक का भरत करेगें, तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने वादी को धमकी दी कि हमने यह मिट्टी प्रतिवादी संख्या 8 को बैचान कर दी है तथा इसके बैचान के पैसे प्राप्त कर लिये है, तथा हम यहॉ के स्थानीय निवासी है और तु जामडोली का रहने वाला है हम तेरे को जाने के बाद तेरे पीछे से तेरे खेत की मिट्टी को उठवाऐगें तथा वादी को ऐलानियॉ धमकी दी कि हम बिना सीमाज्ञान करवाये ही हमारी भूमि खसरा नम्बर 357 की आड में तेरे खेत खसरा नम्बर 359 की भूमि से मिट्टी को दोहन करते हुए मिट्टी को उठवाएगें तथा तुझे बेदखल करके रहेगे तथा तुम्हारी भूमि को हमारे कब्जे में लेकर इनको हमारी भूमियों मे मिलाऐगें तथा इस पर तारबन्दी तथा पुख्ता निर्माण कार्य करवाएगें तथा प्रतिवादी व उनके साथ आये व्यक्तियों ने संगठित होकर पुनः वादी को धमकी दी कि हम पुलिस थाना व उच्चाधिकारीयों से हमारी अच्छी सांठ–गांठ है, तथा हम सरकारी संस्था के ठेकेदार है, हमने यह मिट्टी पैसे देकर खरीदी है। तथा हम यहां से मिट्टी उठाकर ले जायेगें। इसलिये वादी के लिये यह भूमि की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण सं01 लगायत 8 को माननीय न्यायालय से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावें कि वादी की उक्त मद सं0 1 में वर्णित विवादित भूमि के किसी भी हिस्से भू भाग पर से किसी भी प्रकार से मिट्टी का दोहन नही करें, जेसीवी मशीन, टेक्टर, मजदूर या अन्य साधनों से मिट्टी की खुदाई नही करें तथा मिट्टी भरकर नही ले जावें तथा वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे–काश्त में मुजाहमत नही करें, इस अमर की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी मुश्तहक है, अन्यथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 वादी की उपरोक्त मद नं0 1 मे वर्णित भूमि को जबरन कब्जा करके, मिट्टी को बैचान करके, मिट्टी को उठाकर ले जायेगें जिससे भूमि खुर्द–बुर्द को जावेगीं, जिससे वादी को फिजूल की कानूनी चाराजोही व मूकदमेंबाजी का शिकार होना पडेगा, जिससे वादी के कृषि हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा और अपूर्तनीय क्षति का सामना करना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नही होगी। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेंधाज्ञा सें पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 357 की आड में वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 9.4600 हैक्टेयर वाके ग्राम पापड पटवार मण्डल पापड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के किसी भी भू भाग में से जे0सी0बी0 ट्रेंक्टर या अन्य साधनों व मजदूरों से मिट्टी नही खुदवावें ना ही मिट्टी को उठवावें, मिट्टी का दोहन नही करें, किसी भी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण, तारबन्दी नही करें, वादी को उपयोग उपभोग में बाधा दखल नही करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 स्वयं करें तथा ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार, मजदूर आदि से करावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। .प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार प्रतिवादी किया गया। लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहने से इनके खिलाफ दिनांक 15.03.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 8 की ओर से अधिवक्ता श्री दामोदर शर्मा ने दिनांक 12.09.23 को उपस्थित होकर जवाब मय आपत्ति पेश की। वकील प्रतिवादी सं0 8 ने निवेदन किया कि

प्रारंभिक आपत्तियॉ :– यह कि अप्रार्थी संख्या 8 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार कार्यरत है। उपरोक्त राजस्व वाद में उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान या नियम के उल्लघंन की बाबत कोई उल्लेख नही किया गया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर में कोई वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट दायर करना नियम विरूद्व एवं अनाधिकृत प्रयास हैं इस कारण अप्रार्थी संख्या 8 को वाद पत्र से तुरन्त तर्क किया जाना न्यायसंगत है। उक्त वाद अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व लाया जाना नियम विरूद्व व गैर कानूनी है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 8 के द्वारा वादी के किसी अधिकार का अतिक्रमण कर उसे कोई हानि नही पहुचाई गई है। इस कारण यह वाद अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व प्रारंभ व चालू नही किया जा सकता। अतः अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व वाद तुरन्त खारिज किए जाने योग्य है। यह वाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 से संबंधित है। वादी ने उक्त प्राधिकरण को पार्टी नही बनाया है माननीय न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हैं अतः अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व माननीय

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

न्यायालय स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत कोई आदेश पारित करने में सक्षम नही है। अतः अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व यह वाद नही लाया जा सकता है। सी0पी0सी0 की पहली अनुसूचित आदेश 1 नियम 3 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 8 को अन्य प्रतिवादीयों के साथ गलत रूप से संयोजित किया गया है। क्योकि वादीके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नही किया गया है और ना ही वादी के द्वारा इस आशय का आरोप अपने वाद पत्र में अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व वाद संचालित करने के लिए वादी के द्वारा नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी के द्वारा माननीय न्यायालय मं दावा करने की अनुमति प्राप्त नही की गई है। इस कारण वाद पत्र त्रुटिपूर्ण व गलत है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति में अंकित बिन्दू सं0 1 लगायत 10 को ध्यान मे रखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा इस दावें का जो प्रसंज्ञान लिया गया है कतई कानून विरूद्व है तथा न्यायसंगत नही है। प्रतिवादी सं0 8 के विरूद्व प्रसंज्ञान लेना न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है अतः दावें को तुरन्त प्रभाव से खारिज किए जाने हेतु न्यायालय से निवेदन है।

जवाब दावा :– उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 को सम्मिलित किए जाने बाबत कोई सुदृढ आधार वादपत्र में मौजूद नही है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्व सफलता की लेशमात्र भी गुंजाईश नही है। अतः वाद पत्र की मद संख्या 1 पूर्णतया अस्वीकार है। मद सं0 2 में जवाब की आवश्यकता नही है। मद सं0 3 में लिखी गई स्वीकार नही है। अप्रार्थी 8 का अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 से कोई संबंध नही है। अप्रार्थी सं0 8 के द्वारा किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य किए जाने का तथ्य पूर्णतया अस्वीकार है। प्रथम दुष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में कतई नही है। प्रार्थी के द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। अतः मद सं0 5 अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 8 के द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करके मिट्टी उठाने अथवा किसी से गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के भूमि से मिट्टी उठवाने का तथ्य पूर्णतया गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्राथी सं0 8 को कोई इससे सरोकार नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट मय हर्जे खर्चे के अप्रार्थी के पक्ष में निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावें में अंकित बिन्दूओं को ताईद करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्दी करने के आदेश फरमावें तथा वकील प्रतिवादी सं0 8 ने प्रस्तुत वाद को मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब दावा, प्रारम्भिक आपत्तियों का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 357 की आड में वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 9.4600 हैक्टेयर वाके ग्राम पापड पटवार मण्डल पापड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के किसी भी भू भाग में से जे0सी0बी0 ट्रेक्टर या अन्य साधनों व मजदूरों से मिट्टी नही खुदवावें, ना ही मिट्टी को उठवावें, मिट्टी का दोहन नही करें, किसी भी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण, तारबन्दी नही करें, वादी को उपयोग उपभोग में बाधा दखल नही करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 स्वयं करें तथा ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार, मजदूर आदि से करावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28/03/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई
(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

कैलाश बनाम रेवड वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 48/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा वकील वादी व श्री दामोदर शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 8 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 357 की आड में वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 9.4600 हैक्टेयर वाके ग्राम पापड पटवार मण्डल पापड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के किसी भी भू भाग में से जे0सी0बी0 ट्रेक्टर या अन्य साधनों व मजदूरों से मिट्टी नही खुदवावें, ना ही मिट्टी को उठवावें, मिट्टी का दोहन नही करें, किसी भी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण, तारबन्दी नही करें, वादी को उपयोग उपभोग में बाधा दखल नही करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें, उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 स्वयं करें तथा ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार, मजदूर आदि से करावें।

डिक्री आज दिनांक 28/03/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ